संख्या-17/2024/176/एक-1-2024-1-1099/3926/2020

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमरोहा।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 15 मार्च, 2024**

विषयः जनपद अमरोहा में मै० धर्मपाल सत्यपाल लि० की सब्सिडरी कंपनी मै० एग्री एग्रोनॉमिक्स प्रा०लि० द्वारा विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1346/भू0व्य0सहा0/2023-24, दिनांक-08.12.2023 एवं पत्र संख्या-1490/भू0व्य0सहा0/2023-24, दिनांक-15.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मेसर्स धरमपाल सत्यपाल लि0 की सब्सिडरी कंपनी मै० एग्री एग्रोनॉमिक्स प्रा०लि० द्वारा जनपद अमरोहा की तहसील धनौरा में हार्टीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना हेतु विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-4 में वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित, 2003 एवं आद्रभूमि में कतिपय क्रिया कलापों पर निर्बन्धन से संबंधित भारत सरकार के नोटीफिकेशन 26-09-2017 के अधीन लोकहित में कृषि से इतर गतिविधियां संचालित करने व रोजगार सृजन हेतु जनपद अमरोहा की तहसील धनौरा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम लठीरा एहतमाली, तिगरी, गुलालपुर एहतमाली, भोगपुर एहतमाली, दारानगर एहतमाली व सिहाली मेव में मै0 धरमपाल सत्यपाल प्रा0 लि0 की सब्सिडियरी कम्पनी मै0 एग्री एग्रोनॉमिक्स प्रा0लि0 को Advance Horticulture & Hitech Food Processing Unit लगाने के लिए विहित सीमा से अधिक 200 हे0 भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) हार्टीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग इकाई हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम भूमिधरों से आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। यह आदेश किसी भी भूमिधर को उसकी भूमि को विक्रय हेतु बाध्य नहीं करता है।

(2) यदि संस्था उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात हार्टीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग इकाई हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 99/98 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन होगा।

(5) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण/विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(8) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित की धारा-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतद् विषयक शासनादेशों तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित, 2003 एवं आद्रभूमि में कतिपय क्रिया कलापों पर निर्बन्धन से संबंधित भारत सरकार के नोटीफिकेशन 26-09-2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) कम्पनी द्वारा क्रय हेतु प्रस्तावित भूमियों के अधिकार, हित व स्वत्व की वैधता की जांच आधार वर्ष से जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/ प्राधिकरणों/मा0 न्यायालयों/मा0 न्यायाधिकरणों आदि के निर्णय/प्रावधन, उक्त भूमियों, उन पर स्थापित संरचनाओं और कार्यकलापों पर लागू होगा।

(11) प्रश्नगत संस्था द्वारा परियोजना का कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व नियमानुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुमति (Wildlife Clearance)प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(12) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जिलाधिकारी, अमरोहा द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,
राम रतन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
4. अधिकृत हस्ताक्षरी, मेसर्स धरमपाल सत्यपाल लि0, अमरोहा।
5. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in